न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 10/2019/टोंक (2019/00010)

श्री लक्ष्मण करण पुत्र घनश्याम करण जाति राजपूत निवासी ग्राम नटवाड़ा पुलिस थाना बरौनी जिला टोंक।

—अपीलार्थी

बनाम

जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक।

—— प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 राजस्थान आयुद्ध अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश क्रमांक न्याय/श.अ.पत्र/आदेश/2018/9105 दिनांक 25—11—2018

————

उपस्थितः 1— श्री हेम सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 13—06—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के नाम एक शस्त्र 12 बोर डीबीबीएल न0 74502 एवं एक शस्त्र 22 बोर एसबीबीएल गन 582 अनुज्ञा पत्र संख्या 3 का लाईसेंसधारी है। उक्त शस्त्र का अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण दिनांक 4—6—2018 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश दिनांक 25—11—2018 से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन निरस्त कर पुलिस थाना बरोनी में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी किये बिना एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पुलिस थाना की गलत रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपराध संख्या 225/2010 अन्तर्गत धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज होना मानकर अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना में दर्ज उक्त प्रकरणों में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया जिसका अंतिम रूप से निस्तारण होकर अपीलार्थी को अपराधी साबित होना मानकर सजा से दण्डित नहीं किया गया है। इस कारण केवल मात्र मुकदमा विचाराधीन होने से अपीलार्थी को अपराधी नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी के द्वारा लाईसेंसशुदा शस्त्र से किसी पर हमला नहीं किया गया है किन्तु पुलिस थाना ने अपीलार्थी के विरूद्ध गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक ने बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण जेरकार होना बता दिया जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञा पत्रधारी है जिसको अपनी सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया था। अपीलार्थी ने हथियार का कभी भी गैर कानूनी उपयोग नहीं किया है अपीलार्थी एक शांति प्रिय व्यक्ति है जिसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बिना किसी आधार के निरस्त कर कानूनी भूल की है जबकि जिला मजिस्ट्रेट ने अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने का जो कारण आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान किया जाना बताया गया है जबकि पुलिस थाना में दर्ज आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी सजायाफ्ता नहीं है और आपराधिक प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है जिसका अंतिम निर्णय होना है इसलिए उक्त प्रकरण के अंतिम निर्णय से पूर्व अपीलार्थी को अपराधी मानकर उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–11–2018 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/पीएस बरोनी के अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र 1 एक 12 बोर डीबीबीएल नम्बर 74502 एवं 2. 22 बोर एसबीबीएल गन 582 अनुज्ञा पत्र संख्या का अपीलार्थी के नाम नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 3/पीएस बरोनी के अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र 1 एक 12 बोर डीबीबीएल नम्बर 74502 एवं 2. 22 बोर एसबीबीएल गन 582

अनुज्ञा पत्र संख्या को पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 4–6–2018 मे अपीलार्थी के विरूद्ध थाना सुभाष चौक जयुपर पर अपराध संख्या 225/2010 अन्तर्गत धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज होकर दिनांक 14–3–2013 को चालान पेश किया गया जो अभी भी विचाराधीन होने के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 25–11–2018 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 4–6–2018 मे अपीलार्थी के विरूद्ध थाना सुभाष चौक जयुपर पर अपराध संख्या 225/2010 अन्तर्गत धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज होकर दिनांक 14–3–2013 को चालान पेश किया गया जो अभी भी विचाराधीन है। साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण के संबंध में कोई दस्तावेजात बहस के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में स्वयं की सुरक्षा हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु निवेदन किया है अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट में कहीं पर भी अपीलार्थी को जान माल का खतरा होने का उल्लेख नहीं है। साथ ही किसी भी विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकन नहीं किया है कि अपीलार्थी को किसी विशेष व्यक्ति से जान माल का खतरा है या किसी व्यक्ति के द्वारा अपीलार्थी को धमकी दी जा रही हो जिस कारण अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट के आधार पर पारित आदेश दिनांक 25–11–2018 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) टोंक का आदेश क्रमांक न्याय/श.अ.पत्र/आदेश/2018/9105 दिनांक 25–11–2018 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर